



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 31.03.21

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा मु0अ0स0 342/21 धारा 307 भादवि मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट व0उ0नि0 श्री हेमेन्द्र बालियान के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु0अ0स0 342/21 धारा 307 भादवि मे वांछित अभि0गण 1.नितिन मलिक पुत्र श्री चन्द्रकान्त निवासी म0न0 86/3 पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सि0गेट जनपद गा0बाद मूल पता ग्राम भीका मजरा थाना तितावी जिला शामली 2. चन्द्रकान्त पुत्र दौलतराम निवासी म0न0 86/3 पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सि0गेट जनपद गा0बाद मूल पता ग्राम भीका मजरा थाना तितावी जिला शामली को हमदर्द चौराहा के पास से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 31/03/2021 को को समय 09.05 बजे मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया। तथा अभि0 नितिन मलिक से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू व अंकित के खून के धब्बे लगा 01 बनियान बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण -

दिनांक 31/03/2021 को वादी श्री नवीन पुत्र श्री सतवीर नि0 ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जिला बागपत द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 342/21 धारा 307 भादवि बनाम नितिन व चन्द्रकान्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभि0गण द्वारा वादी के गाँव के अंकित पुत्र धर्मपाल हाल नि0 लोहियानगर गा0बाद को अपने घर में जबरदस्ती धकेल कर उस पर चाकुओ से हमला किया था। मुखबिर खास की सूचना पर हमदर्द चौराहा के पास से कही जाने की फिराक मे खडे वांछित अभि0गण नितिन मलिक व चन्द्रकान्त उपरोक्त को दि0 31/03/2021 को समय 09.05 बजे हस्बकायदा बात बताकर कारण गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभि0 नितिन मलिक से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू व अंकित के खून के धब्बे लगा 01 बनियान बरामद हुआ। अभि0गण ने पूछताछ पर बताया कि अंकित ढाका पुत्र धर्मपाल नि0 ढिकौली थाना चादीनगर जिला बागपत नितिन मलिक की पत्नि प्रियाशी को गन्दे गन्दे मैसेज भेजता था मिलने पर बातचीत मे अंकित ढाका गालीगलौच करने लगा तो चन्द्रकान्त ने अंकित के हाथ पकड लिए व नितिन मलिक ने चाकू से वार किये थे। चाकू व बनियान जिस पर खून के धब्बे लगे थे को कही छिपाने हेतू ले जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.नितिन मलिक पुत्र श्री चन्द्रकान्त निवासी म0न0 86/3 पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सि0गेट जनपद गा0बाद मूल पता ग्राम भीका मजरा थाना तितावी जिला शामली
2. चन्द्रकान्त पुत्र दौलतराम निवासी म0न0 86/3 पीले क्वार्टर लोहिया नगर थाना सि0गेट जनपद गा0बाद मूल पता ग्राम भीका मजरा थाना तितावी जिला शामली

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु0अ0स0 342/21 धारा 307 भादवि बनाम नितिन मलिक व चन्द्रकान्त थाना सिहानीगेट गा0बाद
2. मु0अ0स0 343/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नितिन मलिक थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी

- 1.एक पुलिंदा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू
2. एक पुलिंदा अंकित के खून के धब्बे लगा 01 बनियान



थाना कविनगर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 311/21 धारा 392/411/120बी भादवि के अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व 30 हजार रुपये बरामद किये।

दिनांक 01.03.2021 को थाना कविनगर क्षेत्र के आरडीसी मे सुबह करीब 10.20 बजे श्री नितिन पुत्र राजकुमार निवासी जयमाता अपार्टमेंट न्यू पंचवटी कपडा मिल थाना कोतवाली घंटाघर कर्मचारी सुकृति फूड्स प्रा0लि0 द्वारा कम्पनी का कैश करीब 10 लाख रुपये औद्योगिक क्षेत्र थाना कविनगर से आरडीसी मे बैंक में जमा करने के लिए सैन्ट्रो गाडी नं0 UP14E 0119 से गये, जहां आरडीसी एक्सिस बैंक के सामने अज्ञात बदमाशो द्वारा कैश से

भरा बैग लूट लिया गया, उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 311/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसमें स्वाट टीम व थाना कविनगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए पूर्व में दिनांक 08.03.21 को अभियुक्त गण (1) नफीस खान पुत्र रहीस खान जाति पठान निवासी कविनगर जैन मंदिर के पास फरमान नर्सरी थाना कविनगर गाजियाबाद (2) बोबी कुशवाह पुत्र रमेश चन्द कुशवाह निवासी त्यागी पेट्रोल पम्प के पीछे ट्रांसफार्मर के पास ग्राम छपरौला थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर (3) मोहित रावत पुत्र जगत रावत निवासी किरायेदार के एफ 15 कविनगर थाना कविनगर गाजियाबाद व दिनांक 16.03.21 को थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभि0 (4) सूरज उर्फ शुभम पुत्र नरेश कोरी निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा अभियुक्त सन्नी पुत्र राजवीर निवासी भया चामड थाना गौंडा जिला अलीगढ़ हाल निवासी छपरौला थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर को पीसीआर पर लिया गया जिसकी निशा देही से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज व लूटे गये 30 हजार रुपये बरामद किये गये। अभियुक्त सन्नी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 470/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का लूटेरा है जो अपने साथियों के साथ मिलकर कम्पनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों व ड्राईवरो को जिनको कम्पनी के कैश के आने जाने की पूर्ण जानकारी होती से दोस्ती कर कम्पनी से निकलने वाले कैश की जानकारी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सन्नी पुत्र राजवीर निवासी भया चामड थाना गौंडा जिला अलीगढ़ हाल निवासी छपरौला थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 311/2021 धारा 392/411/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

2- मु0अ0सं0 0470/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

(1) घटना में लूटे हुए 30 हजार रुपये।

(2) 01 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

थाना खोडा पुलिस द्वारा बलात्कार के मुकदमे में वांछित 01 नफर अभि0 को गिरफ्तार किया गया

!! श्रीमान उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खोडा पुलिस द्वारा बलात्कार के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.03.2021 को समय 11.10 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

राजवीर पुत्र श्री रामौतार निवासी गीता के मकान में किराये पर गली न0 2 शनि बाजार लौधी चौक खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद मूल पता ग्राम बराहाट थाना भरथना जिला इटावा उम्र 28 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त राजवीर का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	161/2021	376 भादवि	खोडा	गाजियाबाद



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 120 अदद

अल्प्राजोलम नशीली गोलिया बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 31/03/2021 को एसबीआई एटीएम के पास रमते राम रोड चौकी क्षेत्र किराना मण्डी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुकेश पुत्र जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 120 अदद अल्प्राजोलम नशीली गोलिया बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0- 203/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट एक्ट पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि नशे के आदी व्यक्तियों को अल्प्राजोलम की गोलियाँ बेचकर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

मुकेश पुत्र जगन्नाथ निवासी चांद वाली झुग्गी गौशाला फाटक के पास थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जगदीश उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 203/2021 धारा 8/एनडीपीएस एक्ट 22 एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 120 अदद अल्प्राजोलम नशीली गोलिया बरामद।

